

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 250] No. 250] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 23, 2013/ज्येष्ठ 2, 1935

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 23, 2013/JYAISTHA 2, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 18 **फरवरी**, 20**1**3

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 330(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 25/आरबी- 2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :---
- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा **डेरिवेटिव संविदाएं**) (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।
- (ii) इनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू हुए हैं ।
- 2. विनियमों में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 25/आरबी-2000) में,

2269 GI/2013 (1)

- ए. विनियम 2 में, उप-विनियम (X) के बाद, निम्निलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह जुलाई 2012 के 16वें दिन से जोड़ा गया है,:-
- "(xi) "अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक' का अर्थ भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से है जैसा कि 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/आरबी-2000 के विनियम 2 में परिभाषित है।" बी. विनियम 6 में,
 - (i) उप-विनियम (ii) में, "रिज़र्व बैंक द्वारा तत्संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत" शब्दों को हटा दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वे 17 जनवरी 2012 से हटाये गये हैं।
 - (ii) उप-विनियम (ii) में, "बशर्ते कि ऐसा प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे प्राधिकार का प्रयोग कर सकेगा जो रिज़र्व बैंक द्वारा तत्संबंध में जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिया गया हो" शब्दों को हटा दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वे 17 जनवरी 2012 से हटाये गये हैं।
 - (iii) उप-विनियम (iii) को हटा दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 17 जनवरी 2012 से हटाया गया है।
- (iv) वर्तमान उप विनियम (iv) को पुनर्संख्यांकित कर उप विनियम (iii) के रूप में अंकित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 17 जनवरी 2012 से किया गया हैं। सी. विनियम 6ए में, उपविनियम (ii) में, "विनियम 6 के उप-विनियम (ii) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत" शब्दों को "रिज़र्व बैंक द्वारा तत्संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत" शब्दों
- से निप्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 17 जनवरी 2012 से प्रतिस्थापित किए गये हैं।
- 3. अनुस्चियों में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 25/आरबी-2000) में,
- ए. अनुसूची l में,
- (i) पैराग्राफ 'ए' में, उप-पैराग्राफ 1 (एच) में, "निवासियों द्वारा चालू खाता लेनदेनों को हेज करने के लिए बुक की गयी ऐसी संविदाएं, भले ही उनकी अविध कितनी भी क्यों न हो, बिना दस्तावेजों के विगत निष्पादन पर आधारित बुक की गयी संविदाओं से इतर अथवा विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत लेनदेनों को हेज करने के लिए बुक की गयी किंतु भारतीय रुपये में भुगतान की जाने वाली संविदाएं, रद्द की जा सकती हैं और चालू दरों पर मुक्त रूप में फिर से बुक की जा सकती हैं। निर्यात लेनदेनों को कवर करने वाली संविदाएं भी रद्द की जा सकती हैं, बिना किसी

प्रतिबंध के चालू दरों पर फिर से बुक की जा सकती हैं अथवा रोल ओवर की जा सकती हैं" शब्दों को हटा दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वे 15 दिसंबर, 2011 से हटाये गए हैं।

(ii) पैराग्राफ 'बी' में, उप-पैराग्राफ 3(4) में, "व्यापारिक लेनदेन अथवा बाह्य वाणिज्यिक उधार" शब्दों के बाद "अथवा एफसीएनआर(बी) जमाराशियों की जमानत पर घरेलू रूप में लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण" शब्द जोड़े जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 12 सितंबर, 2012 से जोड़े गए हैं।

बी. अनुसूची II में,

- (i) पैराग्राफ 1 में, "विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)" शब्दों के बाद "/अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक (क्यूएफआई)" शब्द जोड़े जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 16 जुलाई, 2012 से जोड़े गए हैं।
- (ii) पैराग्राफ 1ए में, "विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)" शब्दों के बाद "/अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक (क्यूएफआई)" शब्द जोड़े जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 16 जुलाई, 2012 से जोड़े गए हैं।
- (iii) पैराग्राफ '5' के बाद, निम्नलिखित नया पैराग्राफ जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह दिसंबर 2011 के 29वें दिन से जोड़ा गया है।
 - "6. कोई अनिवासी, भारतीय रुपये में मूल्यवर्गीकृत बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित मुद्रा जोखिम को हेज करने के लिए भारत में प्राधिकृत व्यापारी के साथ वायदा संविदा जिसमें से एक मुद्रा रुपया हो अथवा विदेशी मुद्रा-रुपया आप्शन संविदा अथवा विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वाप सौदा कर सकता है, बशर्ते वे रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन हो।

[सं. फेमा. 260/आरबी-2013]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :-

- 1.@यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिक्ल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- 2. मूल विनियमावली 8 मई, 2000 को जी.एस.आर.सं.४11(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पपश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी –

28.09.2000 के सा.का.नि. सं. 756 (अ)

09.04.2002 के सा.का.नि. सं. 264 (अ)

19.08.2002 के सा.का.नि. सं. 579 (अ)

18.03.2003 के सा.का.नि. सं. 222 (अ)

09.07.2003 के सा.का.नि. सं. 532 (अ)

11.11.2003 के सा.का.नि. सं. 880 (अ)

11.11.2003 के सा.का.नि. सं. 881 (अ)

28.12.2005 के सा.का.नि. सं. 750 (अ)

19.04.2006 के सा.का.नि. सं. 222 (अ)

19.04.2006 के सा.का.नि. सं. 223 (अ)

07.12.2007 के सा.का.नि. सं. 760 (अ)

05.08.2008 के सा.का.नि. सं. 577 (अ)

23.06.2009 के सा.का.नि. सं. 440 (अ)

14.12.2009 के सा.का.नि. सं. 895 (अ)

27.07.2010 के सा.का.नि. सं. 635 (अ).

03.08.2012 के सा.का.नि. सं. 603 (अ) और

30.10.2012 के सा.का.नि. सं. 799 (अ) I

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 18th February, 2013

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 330(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000), namely:—

1. Short Title and Commencement :-

- (i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2013.
 - (ii) They shall be deemed to have come into force with effect from dates specified in these regulations.
- **2. Amendment to Regulations.** In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000),

- A. In Regulation 2, after sub-regulation (x), the following sub-regulation shall be inserted and the same shall be deemed to have come into force with effect from the 16th day of July, 2012, :—
 - "(xi) 'Qualified Foreign Investor (QFI)' means a person resident outside India as defined in Regulation 2 of FEMA 20/RB-2000 dated May 3, 2000."

B. In Regulation 6,

- (i) in sub-regulation (ii), the words "specially authorized in that behalf by the Reserve Bank" may be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from January 17, 2012.
- (ii) in sub-regulation (ii), the words "Provided that such authorized dealer bank shall exercise such authority subject to the directions and guidelines issued to them by the Reserve Bank in that behalf." may be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from January 17, 2012.
- (iii) Sub-regulation (iii) may be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from January 17, 2012.
- (iv) The sub-regulation (iv) may be renumbered as (iii) and shall be deemed to have renumbered with effect from January 17, 2012.
- C. In Regulation 6A, in sub-regulation (ii), the words "specially authorised by the Reserve Bank under sub-regulation (ii) of Regulation 6" shall be substituted with "specially authorised in that behalf by the Reserve Bank" and shall be deemed to have been substituted with effect from January 17, 2012:
- **3. Amendment of Schedules.** In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000),

A. In Schedule I,

- (i) In paragraph 'A', in sub-paragraph 1(h), the words "Such contracts booked by residents to hedge current account transactions, regardless of tenor, not being those booked on past performance basis without documents or booked to hedge transactions denominated in foreign currency but settled in Indian Rupee, may be cancelled and rebooked freely at ongoing rates. Contracts covering export transactions may also be cancelled, rebooked or rolled over at ongoing rates without any restriction." shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from December 15, 2011.
- (ii) In paragraph 'B', in sub-paragraph 3(4), after the words "trade transactions or external commercial borrowings", the words "or foreign currency loans availed of domestically against FCNR (B) deposits" shall be inserted and the same shall be deemed to have been inserted with effect from September 12, 2012.

B. In Schedule II,

- (i) In Paragraph 1, after the words "Foreign Institutional Investor (FII)", the words "/Qualified Foreign Investor (QFI)" shall be inserted and the same shall be deemed to be inserted with effect from July 16, 2012.
- (ii) In Paragraph 1A, after the words "FII", the words "/QFI" shall be inserted and the same shall be deemed to have been inserted with effect from July 16, 2012.
- (iii) After paragraph '5', the following new paragraph shall be added and the same shall be deemed to have come into force with effect from the 29th day of December 2011, :—

"6. A non-resident may enter in to a forward contract with rupee as one of the currencies or a foreign currency – rupee option contract or a foreign currency-INR swap with an Authorised Dealer in India to hedge the currency risk in respect of ECBs denominated in Indian Rupees, subject to such terms and conditions as may be stipulated by the Reserve Bank from time to time."

[No. FEMA-260/RB-2013] RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Footnote:-

- 1. @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.
- 2. The principal regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 411(E) dated May 8, 2000

in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide-

```
G.S.R. No. 756(E) dt. 28.09.2000,
```

G.S.R. No. 264(E) dt. 09.04.2002,

G.S.R. No. 579(E) dt. 19.08.2002,

G.S.R. No. 222(E) dt. 18.03.2003,

G.S.R. No. 532(E) dt. 09.07.2003,

G.S.R. No. 880(E) dt. 11.11.2003,

G.S.R. No. 881(E) dt. 11.11.2003,

G.S.R. No. 750(E) dt. 28.12.2005,

G.S.R. No. 222(E) dt. 19.04.2006,

G.S.R. No. 223(E) dt. 19.04.2006,

G.S.R. No. 760(E) dt. 07.12.2007,

G.S.R. No. 577(E) dt. 05.08.2008,

G.S.R. No. 440(E) dt. 23.06.2009,

G.S.R. No. 895(E) dt. 14.12.2009, G.S.R. No. 635(E) dt. 27.07.2010,

G.S.R. No. 608(E) dt. 03.08.2012, and

G.S.R. No. 799(E) dt. 30.10.2012.